न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर(पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या :— 01/2016
प्रकरण दर्ज तिथि :— 08.07.2016

प्रार्थी	**बनाम**	**प्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर	1.	गोमसिंह पुत्र नगेसिंह जाति रावत निवासी लक्की तालाब तहसील रायपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 पैराकार सरकार (प्राथीगण)
2 अप्रार्थी अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 07.06.2022**

तहसीलदार रायपुर ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लक्की तालाब के खसरा नम्बर 913 रकबा 124.14 बीघा किस्म गै. मु. तालाब की सरकारी भूमि दर्ज रेकर्ड हैं। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में से गैरसायल द्वारा बिना अनुमति के हरे अंग्रेजी बबूल पेड जड़ से उखडवा दिये हैं। काटे गये पेडो की गीली लकउी का अनुमानित वजन 80 क्विटंल हैं जो सूखने पर कम हो सकता हैं। काटे गये पेडो की ग्रामवासी द्वारा शिकायत करने पर पटवारी हल्का द्वारा मौके पर काटी गयी लकडी को बहक राज्य सरकार को लेकर गैरसायल को मौके से लकडी नहीं हटाने हेतु पाबंद किया गया हैं। काटी गई लकडी पटवारी हल्का द्वारा श्री डायाराम पुत्र कुनाराम जाति रेगर निवासी मेगडदा तहसील रायपुर की सुपुर्दगी में दी जाकर सुपुर्दगार को लकडी खुर्द बुर्द नहीं करने तथा सरकारी आदेश पर पुनः उपलब्ध कराने हेतु पाबंद किया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय मूल फर्द मौका फर्द सुपुर्दगी अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रेषित कर निवेदन हैं कि गैरसायल के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर तथा लकडी के निलामी हेतु स्वीकृति प्रदान करावें ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस एकपक्षीय समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् कुर्क सुदा लकड़ियों की निलामी की नियमानुसार कार्यवाही करें तथा अप्रार्थी के विरूद्ध 2100 रूपये का जुर्माना किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

आदेश

अतः प्रार्थी तहसीलदार रायपुर के प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम लक्की तालाब के खसरा नम्बर 913 रकबा 124.14 बीघा किस्म गै. मु. तालाब तहसील रायपुर के द्वारा नियम विरूद्ध हरे वृक्ष काटने पर 2100-रू(अक्षरे दो हजार एक सौ रू) जुर्माना आरोपित किया जाता हैं। तहसीलदार रायपुर आरोपित जुर्माना राशि वसूल कर राज्य कोष में जमा करावें एवं जब्त सुदा लकड़ी की नियमानुसार निलामी कर निलामी फर्द पेश करें। निलामी संबंधी समस्त कार्यवाही पृथक से की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)